

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम – Incentive/Awards etc to SN,ANM etc(Muskan Program-Incentive to ASHA and ANM

बजट / एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 1 के आधार पर)

ए.एन.एम. को मुस्कान एक अभियान के अन्तर्गत टीकाकरण हेतु प्रोत्साहन राशि के भुगतान के संबंध में

एफ०एम०आर० कोड संख्या – A.8.1.8

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर)

पार्ट – ए.

ए.एन.एम. हेतु

इकाई राशि (रु० लाख में)

- प्रति टीकाकरण सत्र पर 1 से 15 लाभार्थियों का टीकाकरण कराने पर प्रति ए.एन.एम. को 50/- रुपये की राशि देय होगी।
- प्रति टीकाकरण सत्र पर 16 या 16 से अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण कराने पर प्रति ए.एन.एम. को 100/- रुपये की राशि देय होगी।

वित्तीय दिशा निर्देशन

लाभार्थियों को सत्र स्थल पर प्रतिरक्षित करने हेतु ए.एन.एम. को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। यह प्रोत्साहन राशि ऑगनवाडी केन्द्र/टीकाकरण स्थल, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों (जो किसी आगनवाडी केन्द्र से सम्बद्ध हो) पर आयोजित सत्रों के लिए देय होगा। यह राशि शहरी क्षेत्र में टीकाकरण का कार्य करने वाली ए.एन.एम. को भी तदनुसार देय होगा।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) पत्र सं. SHSB/Vit - A/173/07/I/11907 दिनांक 09.09.09

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम

डा.गोपाल कृष्ण, राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर

9771493836 / 0612-2290351

✓